**ई**-बोली सूचना ...../2018-19

2310

इस कार्यालय के अधीन संचालित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी के मंदिरों में 100 दानपेटी (छोटी एवं बडी) स्थापित करने हेतु खरीद की जानी है। इस हेतु अनुभवी पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक, जो कि केन्द्र/राजस्थान में विभिन्न वांछित अधिनियमों में पंजीकृत हो से निर्धारित दिनांक एवं समय तक ऑनलाईन बोली दरें आंमत्रित की जाती है। NIB No.

	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा शुल्क रू० में	धरोहर राशि रु० में	ई—बोली प्रकिया शुल्क रू० में	निविदा जारी करने की दिनांक एवं समय	निविदा प्रपन्न डाउनलो ड करने की दिनांक एवं समय	ऑन लाईन निविदा भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनिक ी बिड खोलने में दिनांक एव समय
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
द	राजकीय मंदिरों में खापित करने हेतु 50 डी एवं 50 छोटी कुल 100 दानपेटी आपूर्ति	20.00 लाख	400/-	40000/-	500/-	31.01:2019 03.00 P.M.	31.01.2019 05.00 P.M.	05.02.2019 05.00 P.M.	06.02.2019 03.00 P.M.

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है अथवा राजस्थान लोक उपापन पोर्टल http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in डाउनलोड की जा सकती है।

> आयुक्त, देवस्थान विभाग,

उदयपुर। दिनांक 31-1-11

क्रमांक:-एफ 1 (1)लेखा / निविदा / देव / 2018 / 2311- 13 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर।

2. नोटिश बोर्ड सभांगीय आयुक्त कार्यालय उदयपुर, कलेक्टर उदयपुर, प्रधान कार्यालय देवस्थान विभाग उदयपुर एवं अधिनस्थ सभी सहायक आयुक्त कार्यालय संबंधित के बोर्ड पर सूचना चस्पा करने हेतु।

3. सूचना सहायक / प्रभारी कम्प्युटर सेल को भेजकर लेख है उक्त निविदा को आज ही विभाग की वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर एवं तत्सम्बधी विवरण की प्रति लेखा अनुभाग को उपलब्ध करावे।

> आयुक्त, **3**।।।। देवस्थान विभाग,

उदयपुर।

राजकीय मंदिरों में स्थापित की जाने वाली दानपेटी की आपूर्ति हेतु तकनिकी बिड प्रपत्र

बोली दाता/संवेदक	:
डाक का पता	:
फौन / मोबाईल नम्बर	:
ई-मेल	:
बैंक का नाम :	IFSC Acctt. No
बोली दस्तावेज की लागत स	50 400/- का डीडी/बीसी सं दिनांक
बैंक का नाम	संलग्न है।
बिड सिक्युरीटी राशि रू० ४०	0000/- का डीडी/बीसी सं दिनांक
बैंक का नाम	संलग्न है।
ऑन लाईन निविदा शुल्क र	शि रू० 500 / – का डीडी / बीसी सं दिनांक
बैंक का नाम	संलग्न है।
बोली दाता/संवेदक द्वारा वि	नेम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में
प्रस्तुत किया जायेगा तथा प	जीकरण एंव अन्य प्रमाण-पत्रों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति
बोली दस्तावेजों के साथ लग	गनी होगी।
	ई—मेल बैंक का नाम :—

क्र	विवरण	पंजीकरण	वर्ष	पंजीकरण	संलग्नक
सं		सं		दिनांक	क्रमांक
1	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 / 2013 के अन्तर्गत				
2	वस्तु एवं सेवाकर				
3	आय कर (पेन नम्बर)				
4	वैक खाता पास बुक एवं निरस्त चैक की प्रति				
5	टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2015—16, 2016—17 एवं 2017—18 में (तीनों वर्षों में मिलाकर) कुल 60.00 लाख का टर्नओवर होना आवश्यक है। सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।				
6	वर्ष 2015—16, 2016—17 एवं 2017—18 की आयकर विवरणी एवं बैलेंस शीट				

विधिक / प्रशासनिक मान्यता / अनुज्ञप्ति / पंजीकरण संबंधी अभिलेखों व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

10. बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2015—16, 2016—17 एवं 2017—18) में कुल 60.00 लाख का टर्नओवर होना आवश्यक है, इस हेतु बोलीदाता सनदी लेखाकार से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

11. मैं / हम आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर द्वारा जारी ई—निविदा सूचना क्रमांक ...... /2018—19 में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न दस्तावेजों में दी गई अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। इस हेतु दस्तावेजों एवं सभी संलग्नक पर हस्ताक्षर कर दिये है।

12.आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सेम्पल कार्यालय आयुक्त देवस्थान, उदयपुर में रखा गया है, इच्छुक निविदादाता वित्तीय दरें (BoQ में) भरने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर सेम्पल का अवलोकन कर सकते हैं।

बोली दाता के हस्ताक्षर

#### निविदा-बोली की सामान्य शर्ते

General terms & conditions of Bid Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in public Procurement Act. 2012 [Hereinafter called the Act] and the Rajasthan transparency in public procurement Rules, 2013 [ Hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Rules before participating in the bidding process. if there is discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding Document. The provision of the Act and the Rules shall prevail.

राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र गाईड लाईन, आदेश एवं निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित

प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेंगी।

बोली प्रतिभूति राशि एवं निविदा शुल्क "आयुक्त देवस्थान उदयपुर" के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी तथा ई-बोली प्रक्रिया शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, RISL, जयपुर के नाम बनाया जायेगा। उक्त तीनों डी.डी. / बी. सी. की प्रति बोली दाता को बिड ऑनलाईन करते समय अपलोड करने होगें। बोली ऑनलाईन अपलोड करने के पश्चात उक्त तीनों डी.डी./बी.सी. इस कार्यालय में निर्धारित दिनांक 06.02.2019 को दोपहर 01.00 बजे तक आवश्यक रूप से जमा कराया जायेगा। उक्त के अभाव में बोलीदाता के ऑनलाईन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें।

ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाईड http://eproc.rajasthan.gov.in पर बोली संबंधी निर्धारित प्रकिया पूर्ण करते हुए निर्धारित दिनांक एवं समय तक वेबसाईड पर उपलब्ध इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट के माध्यम से ही ऑनलाईन संबंधित अभिलेख एवं दस्तावेज अपलोड एवं बोली दरें प्रस्तावित किये जा सकेगें। इलेक्ट्रोनिक फोर्मेट में वेबसाईड http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किये गये प्रस्ताव प्रथम चरण में तकनीकि बीड खोली जायेगी एवं तकनीकी बीड के मूल्यांकन में योग्य पाये गये बोली दाताओं की ही

वित्तीय बिड खोली जायेगी।

बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली / प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अविध के लिए विधि मान्य होगी।

बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेंगे या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगें।

- 6. मूल्यांकन की कसौटी तकनीकी—वाणिज्यिक बोली में सफल / क्वालिफाइड बोलीदाता / संवेदक की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी एवं आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की प्रस्तावित दरों में न्यूनतम दर के आधार पर वित्तीय बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
- 7. बोलियों का अपवर्जन :— अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
- सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेंगा।
  - (क) जब बोलीदाता बोली खुलने किन्तु बोली स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
  - (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
  - (ग) जब बोलीदाता स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
  - (घ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय—6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।
- 9. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and performance security)
  - (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश प्रत्र की दिनांक से अधिकतम 07 दिन में सेवा में प्रदाय आदेश की रकम की पाँच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश की रकम के 0.25 प्रतिशत (न्यूनतम 500 रूपये एंव अधिकतम 15000 रूपयें) के बराबर राशि के नॉन—ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।
    - (ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य निष्पादन प्रतिभूति की रकम में समायाजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।
    - (स) कार्य सम्पादन प्रतिभुति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।
  - 10 कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work performance security Deposit):—कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा।
    - (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
    - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण आपूर्ति सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।
    - (ग) जब बोलीदाता कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में आपूर्ति करने में असफल रहता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामले में

युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपामन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

- 11. भुगतानः सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। संबंधित सहायक आयुक्त से सन्तोषजनक आपूर्ति की स्टॉक पृविष्टि बिल पर कराई जाकर बिल दो प्रतियों में एक सप्ताह में इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने की दशा में सफल बोली दाता जिम्मेदार होगा।
- 12. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अविध में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:-
  - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए-2.5%
  - (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक 5.0% किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनिधक के लिए
  - (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधि अवधि से अनधिक किन्तु— 7.5% विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
  - (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए- 10.0%
  - (ड) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।
  - (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि- 10.0% हागी।
  - (छ) यदि बोलीदाता किन्ही बाधाओं के कारण आपूर्ति करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेंगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सल्पाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
  - (ज) यदि आपूर्ति करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से पूरे कारणों से हुई हो, तों सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेंगी।
- 13. बोली के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या / संदेह हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 14. आपूर्ति की जाने वाली दानपेटीयो पर कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार रंग-रोगन करना होगा, एवं रंग-रोगन पश्चात मेटल फिनिशिंग साल्युशन भी लगाना होगा।
- 15. आपूर्ति की जाने वाली दानपेटीयों पर उभरे हुए शब्दों में देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार अंकित करना होगा।
- 16. दानपेटी की आपूर्ति संलग्न प्रपत्र—अ में वर्णित सहायक आयुक्त कार्यालयों में पहुचानी होगी, इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का अतिरिक्त किराया भाडा एवं लॉजिस्टिक देय नहीं होगा।

- 17. सफल निविदादाता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली दानपेटीयों की गुणवत्ता, नाप माप एवं तोल हेतु फेक्ट्री / कारखाना का निरीक्षण विभागीय कमेटी द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।
- 18. दानपेटी की आपूर्ति में रास्ते में किसी भी प्रकार का नुकसान चोरी आदि होने पर इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस हेतु संवेदक चाहे तो ट्रांजिट इन्श्योरेन्स करवा सकता है, विभाग द्वारा इस हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशि नहीं दी जायेगी।
- 19. दरें INR में प्रस्तुत करनी होगी। GST की दर पृथक से दर्शानी होगी, जिस पर नियमानुसार स्त्रोत पर कटौती की जायेगी।
- 20. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के स्पेशिफिकेशन निम्नानुसार है:-दानपेटी कलश नुमा, दिखने में आर्कषक एवं सुरक्षा की दृष्टि से परिपूर्ण होनी चाहिए साथ ही दानपेटी में डबल लॉक सुविधा होनी चाहिए।

2	बडी दान पेटी का	
विवरण	विवरण (अनुमानित	छोटी दान पेटी का विवरण (अनुमानित
	50 नग)	50 नग)
दानपेटी की उचाई	60"	52"
दानपेटी की लम्बाई	23"	18"
दानपेटी की चौडाई	23"	18"
दानपेटी का अनुमानित भार	100 कि. ग्रा. लगभग	70 कि. ग्रा. लगभग
दानपेटी में लगने वाली शीट	C R Sheet	C R Sheet
दानपेटी में लगने वाली शीट का गेज	2MM (14 Gauge)	2MM (14 Gauge)
दानपेटी में लगने वाला लॉक सिस्टम	Double Lock Key	Double Lock Key

- 1. वजन में 5 प्रतिशत की कमी अथवा बेशी अनुमत होगी। पाँच प्रतिशत से ज्यादा की वजन कम होने की दशा में आनुपातिक रूप से राशि की कटौती की जाकर भ्गतान किया जायेगा।
- 2. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सेम्पल कार्यालय आयुक्त देवस्थान, उदयपुर में रखा गया है, इच्छुक निविदादाता वित्तीय दरें (BoQ में) भरने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर सेम्पल का अवलोकन कर सकते है।

#### -ःःघोषणा पत्रःः-

निवदा बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में ई—बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाएं तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर किया जा सकेंगा तथा निविदा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद किया जा सकेंगा।

बेलीदाता के हस्ताक्षर नम मय सील

Annexure-'A'

### COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST:-

Any person participating in a procurement process shall-

- Not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b) Not misrepresent or omit misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e). Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any part or to its property to influence the procurement process;
- f) Not obstruct any investigation or audit of procurement process,
- g) Disclose conflict of interest, if any, and
- h) Disclose any previous transgression with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

#### **CONFLICT OF INTEREST:-**

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- 1. A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in bidding process if, including but not limited to:
- a. Have controlling partners/shareholders in common; or
- b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process; or
- e. The bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one Bid; or
- The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or
- g. The bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Date:

Signature of Bidder with Seal Name:

Designation: Address:

Annexure-'B'

### DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS DECLARATION BY THE BIDDER

No	technical, financial and managerial resources and
2. I/we have fulfilled my/our obligation to p State Government or any local authority	pay such of the taxes payable to the Union and the as specified in the bidding document;
administered by a court or a judicia	nkrupt or being would up, not have my/our affairs al officer, not have my/our business activities roceedings for any of the foregoing reasons;
offence related to my/our professiona misrepresentations as to my/our qualific	officers not have been convicted of any criminal l conduct or the making of false statements of cations to enter into a procurement contract within emmencement of this procurement process, or not ent to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest document, which materially affects fair	as specified in the Act, Rules and the bidding competition.
	Signature of Bidder with Seal
Date:	Name:
Place.	Deglonation.

Address:

Annexure-'C'

#### GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

The designation and address of the First Appellate Authority is Sec. Devsthan Deptt. JAIPUR

The designation and address of the Second Appellate Authority is Sec. Finance Deptt (Budget) JAIPUR

#### 1. Filling an appeal:-

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding document within a period of ten days, from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or ground on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial Bids, and appeal related to the matter of financial Bids may be filed only by a bidder whose technical Bid is found to be acceptable.

- 2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) will deal with the appeal as expeditiously as possible and will Endeavour to dispose it off within thirty days from the date of the appeal.
- 3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

#### 4. Appeal not to lie in certain cases:-

No appeal will lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provision limiting participating of bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality
- 5. Form of Appeal:-
- (a) An appeal under Para (1) or (3) above will be in the annexed Form along with many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal will be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, in person or through registered post or authorized representative.

#### 6. Fee for filling appeal

(a) Fee for first appeal will be rupees two thousand five hundred and for second appeal will be rupees ten thousand, which will non-refundable.

(b) The fee will be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

#### 7. Procedure for disposal of appeal:-

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case maybe, upon filing of appeal, will issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate

Authority, as the case may be, will,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned will pass an order in writing and provide the copy of order to the parties free of cost.

(d) The order passed under sub-clause © above will be place on the State Public Procurement

Portal.

Date:

Signature of Bidder with Seal

Name:

Designation:

Address:

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012
Appeal Noof
Before the
1. Particulars of Appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent (s)
(i)
(ii)
(iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or mission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposed to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
supported by an affidavit)
7. Prayer:
······
Place
Date Appellant's
Signature Appellant's

Annexure-'D'

#### ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

#### 1. Correction of Arithmetic Errors:-

Provided that a financial Bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

- (i) If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price will prevail and the total price will be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted will govern and the unit price will be corrected;
- (ii) If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the sub totals will prevail and the total will be corrected; and
- (iii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words will prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures will prevail subject to clause (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid will be disqualified and its Bid security will be forfeited or its Bid securing declaration will be executed.

#### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

The quantity mentioned in the Bid is the minimum approximate quantity that the bidder will have to compulsorily supply to specified destination.

- (a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit process or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procure less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of contract.
- (c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity will not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity will be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred will be recovered from the supplier.

### 3. DIVIDING QUANTITIES AMONG MORE THAN ONE BIDDER AT THE TIME OF AWARD (IN CASE OF PROCUREMENT OF GOODS):-

As a general rule all the supply will be taken from successful bidder, whose Bid is accepted, However, when it is considered that the quantity of the subject matter of

supply to be supplied is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose Bid is accepted to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders, in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Place:

Signature of Bidder with Seal

Name:

Designation:

Address:

संलग्न प्रपत्र - अ

दानपेटी. की आपूर्ति हेतु सहायक आयुक्त कार्यालयों के स्थान, दुरभाष नम्बर, दानपेटी की सख्या एवं सूची

क्र	नाम सहायक आयुक्त कार्यालय	दुरभाष	दान पेटी की संख्या		
सं		संख्या	बडी दानपेटी	छोटी दानपेटी	कुल दानपेटी
1	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर—ा	0141- 2614404	5	4	9
2	. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, हनुमानगढ	01552- 230110	5	5	10
3	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, भरतपुर	05644- 228405	4	3	7
4	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा	0744- 2326031	7	8	15
5	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन (उ.प्र.)	0265- 2455146	5	4	9
6	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर	0291- 2650361	4	4	8
7	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर	0145- 2970444	4	5	9
8	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ऋषभदेव	0298- 230023	5	6	11
9	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	0294- 2420546	6	6	12
10	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर	0151- 2226711	5	5	10
- योग			50	50	100

- 1. बिल आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर के नाम जारी किया जायेगा, किन्तु प्रत्येक सहायक आयुक्त हेतु पृथक—पृथक जारी किया जायेगा एवं बिलों पर संबंधित सहायक आयुक्त से स्टॉक पृविष्टि करा दो प्रतियों में प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा
- 2. उपरोक्त कार्यालयों से सही एवं सन्तोषजनक आपूर्ति की प्राप्ति रसीद (प्राप्त कर्ता का नाम, पद एवं सील सहित) प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

## कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर -:वित्तीय बिड:-

वित्तीय बिड- राजकीय मंदिरों में दानपेटी आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दर प्रति दान पेटी

क्र. सं	कार्य का नाम	प्रति नग दान पेटी की राशि (सभी प्रकार के कर एवं प्रभार सहित)
1-	राजकीय मंदिरों में स्थापित करने हेतु 50 बडी साईज की दानपेटी आपूर्ति बाबत	वित्तीय बोली / प्राईस बिड ऑन—लाईन BoQ में भरी जानी है, यह प्रारूप मात्र है,
2	राजकीय मंदिरों में स्थापित करने हेतु 50 छोटी साईज की दानपेटी आपूर्ति बाबत	इस प्रारूप में वित्तीय बोली नहीं भरी जावे।

बोली दाता के हस्ताक्षर नाम मय सील